REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262898 CG-DL-E-05052025-262898

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1963] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2025/ वैशाख 15, 1947 No. 1963] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2025/ VAISAKHA 15, 1947

भारी उद्योग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2025

विषय : विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024 के प्रवर्तन की समय-सीमा में विस्तार।

का. आ. 2007(अ).— विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024 के संदर्भ में, जो 3 मई, 2024 को भारत के राजपत्र में सां. आ. 1896(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था, उक्त आदेश के तालिका में अनुक्रमांक 1.2(क), 1.3(क), 2.1(क), 3.1(क), 4, 5, 6.1(क), 7 तथा 8.1 में उल्लिखित उत्पाद श्रेणियों के लिए आदेश के प्रवर्तन की तिथि एतद्वारा छः महीने अर्थात 10 मई, 2025 से 10, नवम्बर 2025 तक के लिए बढ़ाई जाती है |

> [फा. सं. 8(1)/2018-एचईआई- भाग (1)] विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट.- मूल आदेश, अर्थात् विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सां. आ. 4044(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत प्रवर्तन की समय-सीमा में विस्तार अधिसूचना संख्या सां. आ. 4492(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 तथा सां. आ. 5083(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, उक्त आदेश में संशोधन विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023, सां. आ. 2132(अ), दिनांक 9 मई, 2023 तथा विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2024, सां. आ. 1896(अ), दिनांक 3 मई, 2024 के माध्यम से किया गया।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 5th May, 2025

Subject: Extension of implementation timeline under the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024 — reg.

S.O.2007 (E).— In pursuance of the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024, published in the Gazette of India vide S.O. 1896(E), dated the 3rd May, 2024, the date of enforcement for the product categories mentioned at serial numbers 1.2(a), 1.3(a), 2.1(a), 3.1(a), 4, 5, 6.1(a), 7, and 8.1 of the Table of the said Order, is hereby extended by six months from 10th May, 2025 to 10th November, 2025.

[F. No. 8(1)/2018-HEI-Part(1)] VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

Note.—The principal Order, namely, the Electrical Equipment (Quality Control) Order, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 4044(E), dated the 11th November, 2020. Subsequent extensions in timelines were granted vide notification numbers S.O. 4492(E), dated the 18th October, 2021, and S.O. 5083(E), dated the 28th October, 2022. Further, the Order was amended through the Electrical Equipment (Quality Control) Amendment Order, 2023 vide S.O. 2132(E), dated the 9th May, 2023, and the Electrical Equipment (Quality Control) Second Amendment Order, 2024 vide S.O. 1896(E), dated the 3rd May, 2024.